



Neutral Citation No. -2026: AHC:125468

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19442/2026

दुर्गेश उर्फ दुर्वेश

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	: देवेश कुमार, श्री शरद कुमार सिंह
विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री देवेश कुमार, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.एस. चौहान को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 44/2026, अंतर्गत धारा 69 एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), 2023, थाना- किशनी, जनपद-मैनपुरी में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन कथनानुसार, आवेदक एवं पीड़िता (प्रथम सूचना दाता) प्रारम्भ में पारस्परिक संबंध में थे; तत्पश्चात कुछ कारणों से, उनके मध्य विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह भी निवेदन किया गया कि प्रथम सूचना दाता स्वयं स्वीकार करती है कि उसने आवेदक से विवाह किया था तथा मात्र इस आधार पर कि आवेदक ने पीड़िता के साथ रहने से इंकार कर दिया, उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 20.02.2026 से जेल में निरुद्ध है। पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः, अभिरक्षात्मक पूछताछ की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
5. वाद के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता तथा विचारण न्यायालयों में लंबित आपराधिक वादों की अधिकता एवं कारागारों में अत्यधिक भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित के प्रकरण में प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
6. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वाद में संलिप्त आवेदक- **दुर्गेश उर्फ दुर्वेश**, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी बन्धपत्र तथा दो समान धनराशि के जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।
 - (ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/अन्वेषण कार्यवाही में सत्यनिष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।
 - (iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
 - (iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।
7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं प्रतिभूतियों की पहचान, हैसियत तथा निवास संबंधी प्रमाणों का सत्यापन किया जाएगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा तथा अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



संबंधित अधिवक्ता इस आशय के प्रतिज्ञा-पत्र सहित सत्यापन करेगा कि आदेश की प्रमाणित प्रति 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

10. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में पिला पहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 29.05.2026 के आदेश, का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए 24 घंटे के भीतर ईमेल या ई-जेल पोर्टल से आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

04 जून, 2026